मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 231/2025
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

नीशा उर्फ कलावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र केसरीचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. गुरदयाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. गोमती देवी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
4. चावली देवी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
5. शान्ती देवी पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
6. छोगा पुत्र रूपा जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
7. बीरबल पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
8. मनीराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
9. मेहरचन्द पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
10. रूपराम कालूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
11. सुल्तान पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :– 12.3.2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री संतोष सोलकी वकील वादी मिन जामिन मुदई ..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– नीशा उर्फ कलावती पुत्री मनीराम जाति जाट सा.नगराना के कब्जा काश्त भूमि :– चक 13 एसबीएन प.न. 175/202 मु.न. 2 किला नं. 21/0.038 है. 22/0.228 है. एवं प.न. 175/203 मु.न. 3 किला नम्बर 1/0.215 है. 2, 9/0.253 है. प्र. कुल 0.987 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/558 दिनांक 02.02.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज X मुब्लिक X बाबत X खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.3.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया